have prepared, besides other things, this is also included in that.

SHRI SURESH KALMADI: Is dismissal of the State Government one of the options? I would like to know from the Home Minister? (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, I am on a point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This is still Question Hour. It has not been suspended. Anyway, you can speak.

क्वश्चिन ऑवर खत्म नहीं हुआ है ... (**व्यवधान**)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Madam, there is a total breakdown of the Constitution there. It is a new form of terrorism. In Punjab, we tell the Sikhs to obey the Constitution. But here is an elected Government in a State which is violating the Constitution I would like to know from the Home Minister whether he is going to arrest these people under the National Security Act? (*Interruptions*) We talk about terrorism in Punjab. But here is State terrorism by the U.P. Government.

SHRI SURESH KALMADI: I would like to seek a clarification from the Home Minister. (*Interruptions*)

श्री प्रमोद महाजन : इस सरकार को हमको धमकाने की जरूरत नहीं है । ... (**व्यवधान**)

श्री विष्णुकांत शास्त्री (उत्तर प्रदेश): हमारी सरकार आदेशों का पालन करना चाहती है । हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए । उस पर विश्वास करना चाहिए ... (**व्यवधान**)

SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Has the State Government any more right to continue? (*Interruptions*) What right has it got to cotinue when it has not fulfilled its responsibility? (*Interruptions*)

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: The Home Minister should recognise this. (*Interruptions*)

उपसभापति : बोलिए, सप्लीमेंटरी पूछिए । एक मिनट रह गया है । ... (**व्यवधान**)

DR. ABRAR AHMED: (Rajasthan): Don't permit others.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am not permitting anybody. (*Interruptions*) Dr. Abrar Ahmed is asking a supplementary. (*Interruptions*)

SHRI P. UPENDRA (Andhra Pradesh): Madam, while welcoming the statement made by the Home Minister, I want that he should take Parliament into confidence in regard to the contingency plan. (*Interruptions*)

श्री प्रमोद महाजन : धमकी देने का रोज प्रयास यहां किया गया जाता है । उत्तर प्रदेश की सरकार अपने संवैधानिक दायरे में काम कर रही है... (**व्यवधान**) उस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करना, बर्खास्त करना तो छोड़ दीजिए, बर्खास्त करने की मांग करना ही सरासर गलत होगा क्योंकि वह सरकार कांस्टीट्यूशन के दायरे में काम कर रही है । उसके बाद भी अगर सरकार बर्खास्त की गई तो वह फिर चुनकर आएगी । ... (**व्यवधान**)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Question Hour is over. Now, Papers to be laid on the Table.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आयकर की बकाया राशि की वसूली

*181. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन प्रथम दस व्यक्तियों या संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनकी ओर

आज की तारीख में आयकर की सबसे अधिक राशि बकाया है;

(ख) इन व्यक्तियों या संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक की ओर कितनी-कितनी राशि बकाया है; और

(ग) आयकर की बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) एक विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जिन उच्च कोटि के दस व्यक्तियों/ संस्थाओं की तरफ दिनांक 31 मार्च, 1991 की स्थिति के अनुसार आयकर की अधिकतम राशि बकाया है उनकी तरफ बकाया आयकर मांग का विवरणपत्र

क्रम सं.	कर निर्धारिती का नाम	बकाया कर (करोड़ रु. में)	वसूली के लिए किए गए उपाय
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	552.96	कालम 3 में उल्लिखित मांग में से अब शेष बकाया मांग 247.46 करोड़ रु. है । इस बकाया मांग में से 207 करोड़ रु. की मांग विवादास्पद है । ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने एक लेखा परीक्षा विषयक आपत्ति उठाई थी और उसे विभाग ने मंजूर नहीं किया था । वह मांग अब आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अनिर्णीत पड़ी हुई है, जिन्हें इस मांग के संबंध में यथाशीघ्र आदेश देने के बारे में अनुरोध किया गया है ।
2.	जी.टी.सी. इंडस्ट्रीज लि.	182.77	उल्लिखित बकाया मांग का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(करोड़ रु.)

क. नि.	वर्ष	
"	1984–85 से 86–87	104.17
"	1987–88	71.95
"	1989–90	3.36
"	1990–91	0.92
"	1991–92	2.37
		182.77

1	2	3	4
			कर निर्धारण वर्ष 1984–85, 1985–86 तथा 1986–87 से संबंधित 104.17 करोड़ रु. की मांग को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (वर्ष 1984–85 के लिए) द्वारा तथा बम्बई उच्च न्यायालय (वर्ष 1985–86 तथा 1986–87 के लिए) द्वारा स्थगित किया गया है ।
			कर निर्धारण वर्ष 1987–88 के लिए 71.95 करोड़ रु. की मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष विवादास्पद है । अब तक इस अपील पर निर्णय नहीं हो सका क्योंकि आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा अपेक्षित विस्तृत सत्यापन की कार्यवाही चल रही है ।
			दिनांक 31 मार्च, 1992 से अब तक कर निर्धारण वर्ष 1990–91 के लिए 80 लाख रु. की राशि वसूल की गई थी ।
			कर निर्धारिती कर निर्धारण वर्ष 1989–90 तथा 1990–91 के लिए बकाया मांगों की अदायगी प्रतिमाह 45 लाख रु. के हिसाब से कर रहा है, जैसा कि विभाग द्वारा किस्तों की मंजूरी दी गई है ।
			कर निर्धारण वर्ष 1991–92 के लिए 2.37 करोड़ रु. की मांग को देखा जाए, तो इसे धारा 143(1)(ए) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 1992 को जारी किया गया था, किंतु कर-निर्धारिती ने दिनांक 12 मई, 92 को सुधारात्मक याचिका दायर करके इस मांग में विवाद खड़ा कर दिया ।
3	बैंक आफ बड़ौदा	87.42	इस सम्पूर्ण मांग का संबंध कर निर्धारण वर्ष 1989–90 से है और यह मांग दिनांक 31.3.1992 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए देय नहीं बनी थी । इसके अतिरिक्त, यह

1	2	3	4
			समस्त मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में विवादग्रस्त है, जिन्हें अनुरोध किया गया है कि वे इस अपील का निपटान प्राथमिक आधार पर करें ।
4.	डनलप इंडिया लिमिटेड	74.44	यह मांग निम्नलिखित धनराशि की है :—

क०नि० व	करोड़ रु० में
1984–85	7.86
1985–86	21.10
1987–88	18.02
1988–89	10.73
1989–90	16.73
	74.44

इस संपूर्ण मांग के बारे में कर निर्धारिती द्वारा विवाद खड़ा किया जा रहा है ।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 46.98 करोड़ रु. के बारे में वसूली की कार्यवाही को स्थगित कर दिया ।

आयकर आयुक्त (अपील) ने कर-निर्धारण वर्ष 1988–89 के लिए मामले की सुनवाई की है और उनके आदेश की प्रतीक्षा है । उन्हें अनुरोध किया जा रहा है कि वे कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 के लिए इस अपील पर भी प्राथमिक आधार पर कार्यवाही करें ।

5	अमेरिकन एक्सप्रैस बैंक	74.12	यह मांग कर निर्धारण वर्ष 1989–90 के लिए 57.71 करोड़ रु. है, कर-निर्धारण वर्ष 1990–91 के लिए 14.32 करोड़ रु. है तथा कर निर्धारण वर्ष 1991–92 के लिए 2.09 करोड़ रु. है । कर निर्धारण वर्ष 1989–90 एवं 1991–92 के लिए

1	2	3	4
			मांग दिनांक 31.3.92 तक वसूली के लिए देय नहीं बनी थी । 14.32 करोड़ रु. की मांग की पूरी वसूली अन्य वर्षों की वापस अदायगियों में समायोजन के माध्यम से कर ली गई है, किंतु प्रदत्त चालान तथा समुचित कर-कटौती विषयक प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति होने तक इसे बकाया राशि के रूप में दिखाया गया है । इस मामले में वास्तविक बकाया राशि केवल 59.80 करोड़ रु. है ।
6.	मेल	73.78	कालम 3 में उल्लिखित मांग कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 से संबंधित 73.14 करोड़ रु० की तथा कर-निर्धारण वर्ष 1988–89 के लिए 0.64 करोड़ रु. की है । कर-निर्धारिती ने कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 के संबंध में दिनांक 25 मई, 1992 को 35 करोड़ रु. की अदायगी की । इसलिए, बकाया राशि अब केवल 38.78 करोड़ रु. है । कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 से संबंधित बकाया मांग अपील में विवाद-ग्रस्त है । आयकर आयुक्त (अपील) से यह अनुरोध किया गया है कि वे इस अपील का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें । कर-निर्धारण वर्ष 1988–89 के लिए अपील का निपटान कर दिया गया है, किन्तु 64.20 लाख रु. के कर के मुद्दों की पुनः जांच कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा की जानी अपेक्षित है ।
7	डी. टी. एम. ए. पं फाउंडेशन	60.19	मांग का कर-निर्धारण वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :–

कर-निर्धारण वर्ष	करोड़ रु.
1986–87	8.12
1988–89	23.43
1989–90	28.64
	60.19

1	2	3	4
			दिनांक 8 जुलाई, 1992 को आयकर आयुक्त (अपील) ने कर-निर्धारिती की अपीलों को मंजूरी दी और उपर्युक्त सभी मांगों को हटा दिया है । परिणामतः इस मामले में बकाया मांग आज की तारीख तक "शून्य" हो गई है ।
8.	आई०सी०आई०सी० आई० लि०	59.05	इस मांग का कर-निर्धारण वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

कर-निर्धारण वर्ष	करोड़ रु.
1983–84	0.22
1989–90	46.66
1990–91	9.17
	59.05

कर-निर्धारण वर्ष 1983–84 तथा 1990–91 के लिए मांगों का समायोजन कर-निर्धारिती को देय वापस अदायगियों में से कर लिया गया है । चालानों की प्रतीक्षा की जा रही है । कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 के लिए मांग दिनांक 31.3.1992 तक देय नहीं बनी थी । यह मांग अपील में विवादग्रस्त है । आयकर आयुक्त (अपील) ने अपील की सुनवाई तय की है ।

9.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	51.92	कर-निर्धारण वर्ष 1989–90 से संबंधित इस संपूर्ण मांग को मार्च, 1992 में जारी किया गया था । बाद में इस सम्पूर्ण मांग का समायोजन कर-निर्धारिती को देय वापस अदायगियों में से कर लिया गया है और इस प्रकार आज की तारीख के अनुसार कोई भी कर बकाया नहीं है ।

1	2	3	4
10	ओ०एन०जी०सी०	50.71	मांग का कर-निर्धारण वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है :-- क०नं० वर्ष 1985–86 38.88 करोड़ रु० क०नं० वर्ष 1987–88 11.83 करोड़ रु० कर-निर्धारण वर्ष 1985–86 की मांग को धारा 263 के अन्तर्गत एक आदेश के परिणामत: दिनांक 13 मार्च, 1992 को जारी किया गया था और यह मांग आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील में विवादग्रस्त है । उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे इस अपील का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करें । इस मांग की वसूली को कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 31.8.1992 तक स्थगित कर दिया गया है । शेष 11.83 करोड़ रु० की मांग की वसूली कर-निर्धारिती को देय वापस अदायगियों में से की जा रही है ।

Smuggling of Food Grains to Neighbouring Countries

*182. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large part of the food grains earmarked for the North-Eastern States under the public distribution system is being smuggled out into the neighbouring countries like Bangladesh;

(b) if so, whether Government have made any estimate with regard to clandestine out flow of foodgrains into the neighbouring countries every year.

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) what measures have been taken by Government to check this and to identify the persons involved in the racket?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Available reports indicate that foodgrains are being smuggled from the North-Eastern States into Bangladesh. However, since smuggling is a clandestine activity, it is not possible to estimate the quantity of this illegal outflow as well as that which is diverted from the Public Distribution System. However, during the period from January to May, 1992, about 18,299 Kgs. of rice and paddy valued at Rs. 84,000/- approximately have been seized in 30 cases booked under the Customs Act, 1962 for attempted illegal export to Bangladesh from the North-Eastern States.